न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 22/2017
प्रविष्टि दिनांक 13.02.2017

ईसर ऊर्फ ईश्वर पुत्र श्योकरण जाति मीना निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम

1—श्रीमति मीरा पत्नि पप्पूराम जाति बंजारा निवासी देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर राज0
2—राहूल पुत्र पप्पूराम जाति बंजारा निवासी देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
3—मनीष पुत्र पप्पूराम जाति बंजारा निवासी देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
4—ज्योति पुत्री पप्पूराम जाति बंजारा निवासी देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर
5—तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज0

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम आकोडिया तहसीलदार निवाई

उपस्थिति —(1) श्री योगेश व्याय, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री शिवराज टाण्डी,अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 4

निर्णय

दिनांक 09.10.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 26.08.2016 को नामान्तकरण संख्या 976 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम आकोडिया के खसरा नम्बर 188/1 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी—3 लगानी 7.02 सिवायचक काबिल काश्त से मीरा पत्नि पप्पूराम,राहूल मनीष पुत्र पप्पूराम,ज्योति पुत्री पप्पूराम जाति बंजारा हिस्सा बराबर साकिन देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 188/1/2 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई सुल्तान पुत्र गंगाराम बन्जारा को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 29.11.1975 को आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन शुदा भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने से निरस्त करवाने हेतु न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ

जिला कलेक्टर
टोंक

भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया,जिस पर न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय दिंनाक 13.7.1998 के द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किया गया। रेस्पोडेण्टस सं. 1 ता. 3 के पति व पिता पप्पूराम ने जिला कलेक्टर टोंक के निर्णय दिंनाक 13.7.98 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिंनाक 9.6.2008 के द्वारा अपील स्वीकार कर आवंटन को यथावत रखा गया है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां निगरानी संख्या 8292/2008 पेश की गई। जिसका निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिंनाक 2.1.2014 के द्वारा करते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय की पुष्टि की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 2.1.2014 को निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त पप्पूराम ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 152 सी. पी. सी का इस आशय का पेश किया गया कि पूर्व के निर्णयों में खसरा नम्बर 188/1/2 गलत रूप से अंकित हो गया था,उसके स्थान पर खसरा नम्बर 188/1/1 अंकित किया जाये, क्योंकि खसरा नम्बर 188/1/2 का आवंटन रामपाल के हक में हुआ है,इसलिए निर्णय में खसरा नम्बर 188/1/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 188/1/1 दुरुस्त किया जाये। उक्त प्रार्थना पत्र 152 सी. पी. सी का प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिंनाक 21.8.2015 से पप्पूराम का प्रार्थना पत्र 152 सी.पी.सी खारिज किया गया है।इस प्रकार न्यायालयों द्वारा खसरा नम्बर 188/1/2 के सम्बन्ध में ही निर्णय पारित किये गये है। अपीलान्ट एवं उसके भाई गोपाल का कब्जा भूमि खसरा नम्बर 188/1 जो सिवाय चक भूमि वाके ग्राम आकोडिया मे थी पर वर्षों से चला आ रहा था के सम्बन्ध में उन्होने एक वाद उपखण्ड अधिकारी निवाई के समक्ष पेश किया था,जिसको उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अपने निर्णय दिंनाक 31.12.2008 के द्वारा खारिज कर दिया गया था,जिसके विरूद्ध अपीलान्ट व उसके भाई गोपाल द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील पेश की गई। माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपीलान्ट व उसके भाई की अपील को स्वीकार करते हुए भूमि खसरा नम्बर 188/1(188/1/1) में 4 बीघा भूमि पर अपीलान्ट व उसके भाई का गत 30 वर्षों से भी अधिक का प्रतिकूल कब्जा मानते हुए उनको बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिकी की पालना के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई के यहां इजराय विचाराधीन है।माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 188/1/2 के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया गया है, उसके उपरान्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 3 व तहसीलदार निवाई ने आपस में साज करके उक्त निर्णय का हवाला देते हुये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 976 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 188/1 (188/1/1) वाके आकोडिया रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता. 3 के हक में दिंनाक 26.8.2016 तस्दीक कर दिया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा नामान्तरकरण पर आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया और न ही नोटिस देकर अपीलान्टस को व्यक्तिशः सुनवाई, साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर ही प्रदान किया। तहसीलदार निवाई द्वारा उक्त नामान्तरकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिंनाक 2.1.2014 व न्यायायल राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिंनाक 9.6.2008 का उल्लेख करते हुए नामान्तरकरण भरा गया है। मौके पर उक्त आराजी पर आज भी अपीलान्ट बहेसियत काबिज हैं। तहसीलदार द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में भी न तो पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की और न ही स्वंय मोके पर जाकर यह जानकारी की गई कि मौके पर उक्त आराजी पर वास्तविक रूप से किसका कब्जा है। अतः नामान्तकरण संख्या 976 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम आकोडिया को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जिला कलेक्टर

अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता. 4 ने जवाबी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार निवाई ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के निर्णय दिनांक 02.01.2014 व न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 09.06.2008 की पालना मे दिनांक 26.08.2016 को नामान्तकरण संख्या 976 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम आकोडिया के खसरा नम्बर 188/1 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी–3 लगानी 7.02 सिवायचक काबिल काश्त से मीरा पत्नि पप्पूराम,राहूल मनीष पुत्र पप्पूराम,ज्योति पुत्री पप्पूराम जाति बंजारा हिस्सा बराबर साकिन देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है। खसरा नम्बर 188/1 मे रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ है। खसरा नम्बर 188/2 का रामपाल के नाम आवंटन हुआ है। अपीलांट द्वारा सुल्तान पुत्र गंगाराम बन्जारा को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिंनाक 29.11.1975 आवंटन किया गया था,उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु अपीलांट ने न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया,जिस पर न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अपने निर्णय दिंनाक 13.7.1998 के द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त किया गया। न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक ने आवंटी (सुल्तान) के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कर उक्त निर्णय पारित किया है,जबकि आवंटी की नियमानुसार तामिल नही हुई थी। रेस्पोडेण्टस सं. 1 ता. 3 के पति व पिता पप्पूराम ने जिला कलेक्टर टोंक के निर्णय दिंनाक 13.7.98 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के यहां अपील प्रस्तुत की। राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिंनाक 9.6.2008 के द्वारा अपील स्वीकार कर आवंटन को यथावत रखा गया है। राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां निगरानी संख्या 8292/2008 पेश की गई। जिसका निर्णय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिंनाक 2.1.2014 के द्वारा करते हुए न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के निर्णय की पुष्टि की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारीज किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 26.08.2016 को नामान्तकरण संख्या 976 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम आकोडिया के खसरा नम्बर 188/1 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी–3 लगानी 7.02 सिवायचक काबिल काश्त से मीरा पत्नि पप्पूराम,राहूल मनीष पुत्र पप्पूराम,ज्योति पुत्री पप्पूराम जाति बंजारा हिस्सा बराबर साकिन देहलाला तहसील कोटखावदा जिला जयपुर खातेदार के नाम स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 02.01.2014 व न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2008 मे भूमि खसरा नम्बर 188/1/2 का ही उल्लेख है,जबकि नामान्तकरण खसरा नम्बर 188/1 का स्वीकार हुआ है। पप्पूराम द्वारा धारा 152 सी.पी.सी (खसरा नम्बर 188/1/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 188/1/1 दुरूस्त किये जाने बाबत)का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.2015 से प्रार्थना पत्र खारिज किया है। तहसीलदार निवाई द्वारा नामान्तरकरण पर आदेश

जिला कलेक्टर

पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को व्यक्तिशः सुनवाई, साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 09.06.2008 में खसरा नम्बर 188/1 को स्पष्ट किया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 02.01.2014 में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 09.06.2008 की पुष्टि की है। अतः न्यायालय हाजा के विचार में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर भी खसरा नम्बर 188/1 की ही पुष्टि कर रहा है। तहसीलदार निवाई ने खसरा नम्बर 188/1 का नामान्तकरण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के निर्णय दिनांक 02.01.2014 के आधार पर स्वीकार किया हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 976 दिनांक 26.08.2016 वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)